आज 31 मई

ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की बैठक

सत्यापन टीमों का सहयोग करें पंचायतकर्मी

(आज समाचार सेवा)

बांदा, 30 मई। मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह पटेल ने आज ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को पहली जून से आयोजित की जा रही ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कार्यों से संबंधित मस्टर रोल के सत्यापन तथा स्थलीय निरीक्षण में सहयोग के निर्देश दिए हैं।

विकास भवन के बैठक हाल में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना गांवों के विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें गरीब परिवारों की जीविका निर्भर है। शासन इसे पारदर्शी एंव गुणवत्तापूर्वक संचालित कराने पर खास ध्यान दे रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष योजना के अन्तर्गत कराए गए कार्यों के सत्यापन के वास्ते चार सदस्यीय टीमें गठित की गई हैं।

यह निर्धारित तिथि में ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगी ग्राम सभा की खुली बैठक में मजदूरों के जॉब कार्ड, मस्टर रोल और प्रस्तावित एवं कराये गए कार्यों के ब्यौरे पढ़कर सुनायेगी। किसको कितने दिनों तक कार्य मिला उसके सापेक्ष कितनी मजदूरी दर्ज की गई तथा कितनी दी गई है। सम्बन्धित श्रमिक ने कार्य किया है अथवा गलत नाम भरा गया है। सत्यापन टीमें जांच भी करेंगी।

सीडीओ ने बताया कि कराये गए कार्यों का अवलोकन करते हुए गुणवत्ता की परख भी करेंगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गांवों में एक दो दिन पहले ग्राम सभा बैठक की नियत तिथि और स्थान बताते हुए डुगडुगी बजवायेंगें। जांच टीमों को सत्यापन में सहयोग करेंगे। इसमें कोताही अथवा उदासीनता बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना से जो भी कार्य कराये जाने हैं। कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया जाए। बैठक में परियोजना निदेशक सोनपाल जिला विकास अधिकारी रविकुमार और जिला पंचायत राज अधिकारी हरिकेश बहादुर ने भी भाग लिया।

चित्रकूट: रोजगार गारंटी का सत्यापन करती संस्थान की टीम व बीडीओ से अभिलेख मांगते कार्यक्रम संयोजक -जागरण

भीषण गर्मी में जारी है रोजगार गारंटी का सत्यापन

चित्रकूट ब्यूरो

जिले के विकास विभाग द्वारा मानिकपुर विकासखण्ड के पांच ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण हेतु कराये जा रहे सत्यापन कार्य में अब गति आयी है। खण्ड विकास कार्यालय द्वारा किहुनियां एवं इटवा डुडैला ग्राम पंचायत के कुछ अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके आधार पर अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान की विशेष टीम रोजगार गारण्टी के कार्यों का गांव-गांव सत्यापन कर रही है।

अखिल कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन ने बताया कि जिला विकास अधिकारी जीपी सिंह द्वारा जारी अन्तिम चेतावनी के बाद बीडीओ ने ग्राम पंचायत किहुनियां का मस्टर रोल एवं इटवा डुडैला ग्राम पंचायत का मस्टर रोल तथा कराये गये कार्यों का आधा अधूरा विवरण उपलब्ध कराया है। जिसके आधार पर सत्यापन कार्य जारी है। अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत के तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने से सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत टिकरिया, खंडिहा एवं अमचुर नेरूआ का कोई भी अभिलेख अभी तक संस्थान टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया। बीडीओ की मनमानीपूर्ण लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम पंचायत सचिव भूषण प्रसाद पर आरोप पत्र गठित कर बीडीओ ने जिला मुख्यालय भेज दिया है। उधर निर्देशों के बावजूद अखिल सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में कार्यक्रम संयोजक अर्जुन ने जिलाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद से चर्चा की। जिलाधिकारी ने बीडीओ मानिकपुर से इस सम्बन्ध में आख्या मांगी है। संस्थान की सत्यापन टीम में शामिल राजेन्द्र सिंह ने गांव में बैठकर जानकारी दी कि अभिलेख कार्यों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। ग्रामीण टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम के अनुभवी सदस्य रामकिशोर ने बताया कि इस पहल से बाद गांव वालों में रोजगार गारंटी को लेकर गांव में सक्रियता बढ़ी है। ग्राम पंचायत सचिव पहली बार अभिलेखों के प्रति गंभीर हुए हैं। वहां पे बैठ-बैठकर अभिलेख तैयार कर रहे हैं। प्रधान भी अपने स्वभाव के अनुकूल दौड़ लगा रहे हैं। सत्यापन टीम में मुख्यतः पहल सामन्वयक मीनू, अनिल अली, रामराज, शिवलाल, रामचन्द्र, जगमोहन, मुकेश, रामकिशोर, राजकुमार, विजय कुमार, अंगद, माया, शांति, शकुन, श्याम, भूरी, मालूकदीन आदि शामिल हैं।

• 22 दिन बाद भी बीडीओ ने नहीं दिये समूचे अभिलेख

~~[illegible]~~ आज 20 मई 2007

रोजगार गारन्टी योजना के अभिलेख नहीं उपलब्ध करा रहा बीडीओ

चित्रकूट 19 मई। खण्ड विकास अधिकारी मानिकपुर द्वारा रोजगार गारण्टी कार्यो सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने से सामाजिक अंकेक्षण की कानूनी प्रकिया बाधित हो रही है। जिला विकास अधिकारी जी०पी० सिंह ने उसे गम्भीरता से लेते हुये बी०डी०ओ० राधेश्याम वर्मा के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अन्तिम चेतावनी जारी किया है।

[illegible] निर्देशों के बावजूद भी बी०डी०ओ० द्वारा अभिलेख न सौपा जाना आश्चर्य जनक है। इससे एक ओर जहां भ्रष्टाचार का खुला संकेत मिलता है वही यह बात भी स्पष्ट होती है कि यहां के अधिकारी, कर्मचारी कानून के साथ खिलवाड़ करने से नही चूकते। [illegible] की मनमानी को गम्भीरता से लेते हुये जिलाविकास अधिकारी ने गम्भीरता से लेते हुये [illegible] यदि चौबिस घण्टे के अन्दर अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये तो कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व डी०डी०ओ० द्वारा सामाजिक अंकेक्षण [illegible] ग्यारह सूत्रीय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के लिये तीन निर्देश जारी किये थे। [illegible] निर्देशों के सापेक्ष ने तो अभिलेख [illegible] और न ही [illegible]

● डीडीओ ने दी करवाई की चेतावनी

अंकेक्षण कार्यक्रम के संयोजक एवं अखिल भारतीय समाज सेवक कार्यालय के [illegible] बताया कि मानिकपुर [illegible] खण्ड के अधिकारियों [illegible] द्वारा सामाजिक [illegible] को गम्भीरता [illegible] कानून का सरेआम [illegible] जनता के हितों के [illegible] खेलवाड़ है। १ [illegible] विकास अधिकारी [illegible] खण्ड विकास [illegible] सामाजिक अंकेक्षण की [illegible] करते हुये निर्देश दिया [illegible] पंचायत इटवा [illegible] अमचुरनेरुआ, टिकरिया [illegible] से १० जून तक सामाजिक [illegible] किया जाना है [illegible] भारतीय समाज सेवा [illegible] टीम सहयोग करेगी। रोजगार [illegible] के समूचे कार्यक्रमो के सत्यापन [illegible] ग्राम सभा के अंकेक्षण किये [illegible] तारीखें सुनिश्चित थी। १६ [illegible] तक सत्यापन कार्य किया [illegible] २० मई को ग्राम सभा [illegible] कार्य होना था। पर खण्ड विकास अधिकारी मानिकपुर द्वारा [illegible] तरीके से रवैया अपनाने [illegible] आक्रोशित है।

दैनिक जागरण 20 मई 2007

जॉब कार्ड से किया जायेगा मस्टर रोल का मिलान

- शासन के निर्देश पर सतर्कता समितियां गठित
- सीडीओ ने 30 मई तक सत्यापन रिपोर्ट मांगी

बांदा, जागरण संवाददाता : जिले में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विफलता को शासन ने गंभीरता से लिया है। ग्राम विकास आयुक्त केके सिन्हा ने इस संबंध में ग्राम पंचायतों के कार्यों के मस्टररोल के सत्यापन कराये जाने के आदेश जिलाधिकारी को दिये है। इसी के तहत सीडीओ ने बीडीओ को न्याय पंचायत स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन और 30 मई तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

जिले में केंद्र सरकार की इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 06 को हुई थी। 19 करोड़ की धनराशि भी इस मद में दी गई थी। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी न तो यहां से सभी मजदूरों के जॉब कार्ड बने न ही निर्धारित 100 दिनों का काम मिला। इन हालातों के चलते जिले से श्रमिकों का पलायन जारी है। मजदूर काम की तलाश में महानगरों की ओर भाग रहा है। जिले में 80 प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं जिन्हें न तो काम दिया गया और न ही कार्य के अभाव में मजदूरी भत्ता।

इस महत्वपूर्ण योजना की जिले में विफलता पर जब स्वयंसेवी संस्थाओं और मीडिया के माध्यम से आवाजें उठीं तो प्रशासनिक स्तर पर फर्जी आंकड़े गढ़ने की कवायद के साथ ही शासन को गुमराह किया जाने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम विकास आयुक्त केके सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लिया और रोजगार गारंटी योजना की जांच और सत्यापन के निर्देश दिये।

सीडीओ नरेंद्र सिंह पटेल ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है कि न्याय पंचायत स्तर पर दो सदस्यीय समिति का गठन कर सत्यापन रिपोर्ट 30 मई तक हर हालत में दे दें।

इस दो सदस्यीय सतर्कता समिति में ब्लाक स्तर से एक अधिकारी और उनके साथ एक अवर अभियंता होगा। यह जॉब कार्ड से मस्टर रोल का मिलान करेंगे। पंचायत स्तर पर मस्टर रोल को सार्वजनिक तौर पर पढ़े जाने के भी आदेश हैं।

दूसरी ओर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कृषि उत्पादन आयुक्त को पत्र लिखकर इस योजना की सफलता के लिए डेढ़ लाख जॉब कार्ड के अनुपात में सौ दिन की मजदूरी के लिए 90 करोड़ की जरूरत बतायी है।

दैनिक जागरण 20 मई 2007

बीडीओ ने निर्देशों को ठेंगा दिखाया

• अभिलेखों के अभाव में सामाजिक अंकेक्षण बाधित

चित्रकूट,कार्यालय संवाददाता : मानिकपुर बीडीओ द्वारा रोजगार गारंटी कार्यों संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने से सामाजिक अंकेक्षण की कानूनी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पायी है। डीडीओ ने इसे गंभीरता से लेते हुये बीडीओ के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किये जाने की अंतिम चेतावनी दी है।

10 व 15 मई को लिखित निर्देशों के बावजूद बीडीओ राधेश्याम वर्मा ने अभी तक अभिलेख नहीं सौंपे हैं। डीडीओ ने बीडीओ की मनमानी को गंभीरता से लेते बीते शुक्रवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये तो बीडीओ के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत अनुमन्य कार्रवाई की जायेगी।

बता दें कि डीडीओ ने बीडीओ से सामाजिक अंकेक्षण संबंधी 11 सूत्री अभिलेखों को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये थे। बीडीओ श्री वर्मा ने न तो अभिलेख मुहैया कराया और न ही स्पष्टीकरण मुख्यालय को भेजा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के संयोजक एवं अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के प्रवक्ता अर्जुन ने कहा कि मानिकपुर ब्लाक के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से न लिया जाना कानून का सरेआम उल्लंघन है।

बीती 1 मई को ही डीडीओ जीपी सिंह ने बीडीओ मानिकपुर को सामाजिक अंकेक्षण की सूचना जारी कर दी थी कि ब्लाक की इटवां डुडैला, किहुनिया, अमचुर नेरुवा, बंबिहा व टिकरिया ग्राम पंचायत में 15 मई से 10 जून तक सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। जिसमें अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान की टीम सहयोग करेगी। सत्यापन के लिये 11 सूत्री अभिलेख मांगे गये थे पर अभी तक अभिलेख बीडीओ द्वारा मुहैया नहीं कराये गये। इस पर डीडीओ ने अंतिम चेतावनी जारी कर बीडीओ से कहा है कि अगर अभिलेख मुहैया नहीं कराये गये तो आरोप पत्र दाखिल कर आयुक्त ग्राम विकास को शिकायत भेजी जायेगी।

बीडीओ की इस मनमानी पर जिले के अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे? यह तो समय बतायेगा। लेकिन बीडीओ व उसके मातहतों द्वारा कानून के साथ किया जा रहा खिलवाड़ किसी के गले नहीं उतर रहा है।

विशेष टीम करेगी रोजगार गारंटी योजना का सत्यापन

- बीडीओ ने नहीं सुलभ करायी सूची

चित्रकूट, कार्यालय संवाददाता : पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के मानिकपुर ब्लाक से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा कराये गये विकास कार्यों का सोशल आडिट बुधवार से होना है लेकिन अभी तक ब्लाक के माध्यम से कराये गये कार्यों का ब्यौरा तक नहीं उपलब्ध कराया गया है। इससे सामाजिक सत्यापन किस प्रकार होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

मालूम हो कि विकास विभाग एवं अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान की संयुक्त पहल से 16 मई से 10 जून तक सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाने का कार्यक्रम पहले ही तय कर लिया गया था। आपस में यह भी तय हुआ था कि बीडीओ सामाजिक संस्थान को कराये गये कार्यों का ब्यौरा समय से पूर्व उपलब्ध करा देंगे लेकिन इसके लिए प्रयास कर रहे संस्थान के कार्यकर्ताओं को कोई सफलता नहीं मिल सकी। मंगलवार को भी कार्यकर्ताओं की टोली बैरंग लौट आई। ब्लाक कार्यालय में न तो बीडीओ का कोई अता पता था और न ही संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का। जबकि डीडीओ जी पी सिंह ने बीती 10 मई को बीडीओ को चयनित ग्राम पंचायतों की वांछित 11 सूत्रीय जानकारी संस्थान को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। जिसमें चयनित ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत बजट एवं व्यय, कराये गये कार्यों, खर्च, मास्टर रोल, कार्य नियोजन के प्रस्ताव, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण सामग्री, क्रय किये गये निर्माण सामग्री के बिल-बाउचर, निगरानी समिति के सदस्यों की सूची के नाम, क्रय की गई सामग्री का विवरण एवं बिल बाउचर, 100 दिन का काम, प्राप्त मजदूरों की सूची, नाम, पता आदि का विवरण मांगा गया था।

संस्थान के प्रवक्ता अर्चन ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण दल में विषय विशेषज्ञ, प्रशासनिक प्रतिनिधि, अभियंता, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, तकनीकी एवं समाज कार्य विभाग के छात्र व पत्रकार शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 16 से 19 मई तक इटवां डुडैला व 20 मई को इसी गांव में जनसुनवाई, किहुनिया में सत्यापन का कार्य 21 से 24 मई तक तथा अंकेक्षण 25 को, 26 से 29 मई तक बंबिहा में सत्यापन एवं 30 को अंकेक्षण, 31 मई से 4 जून तक अमचुर नेरुवा में सत्यापन एवं 5 जून को अंकेक्षण, 6 से 9 जून तक टिकरिया में सत्यापन एवं 10 जून को सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

परीक्षाएं देर से होने पर नौनिहाल परेशान

पहाड़ी, अप्र. : बेसिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं अत्यधिक विलंब से कराने की घोषणा से नौनिहाल परेशान नजर आ रहे हैं।

प्रदेश में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के अलावा स्नातक तथा परास्नातक कक्षाओं की परीक्षाएं लगभग संपन्न होने वाली हैं लेकिन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे परीक्षाओं के प्रारंभ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भीषण तपिश के चलते परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों को घर से विद्यालय तक आवागमन करना कठिन कार्य है।

श्री इंडिया

बांदा-बुधवार-०९ मई २००७

ईंटवाँ डुडैला गाँव के मजदूरों से प्रधान ने वापस लिये जाबकार्ड

श्री इंडिया संवाद

मानिकपुर (चित्रकूट) ८ मई। इटवाँ ग्राम पंचायत में ६९ जाबकार्ड बँटे थे जिनमें ३४ जाबकार्ड वापस ले लिये गये। सभी ने माँगा था काम जिससे क्षुब्ध प्रधानपति ने कार्ड ही वापस कर लिया। वापस किये गये कार्डों में ही चढ़ाया जाता है काम। अब तक इस पंचायत में ५०० मी० मिट्टी की सड़क १५० मी० की सी०सी० सड़क एवं दो तालाबों की मरम्मत का कार्य हो चुका है।

चित्रकूट जनपद का विकास खण्ड मानिकपुर की ग्राम पंचायत इटवाँ डुडैला में आधे से कुछ ही ज्यादा आबादी कोल आदिवासियों की है। इस गाँव में रोजगार गारण्टी के तहत काम भी धड़ल्ले से चल रहा है लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है। गाँव के राजेश, चुन्ने, आदि बताते हैं कि हम लोगों को समाज सेवा संस्थान की ओर से जागरूकता रैली में जानकारी मिली थी कि अब सभी अकुशल मजदूरों को सरकार १०० दिन का रोजगार देने के लिए फरवरी माह २००६ में कानून बनाकर लागू भी कर चुकी है। काम न मिलने पर भत्ता भी दिया जायेगा। हम लोग जागरूकता रैली में ही कुछ पम्पलेट्स पोस्टर भी प्राप्त किए थे जिनमें लिखा था कि १०० दिन का काम प्राप्त करने के लिए पंजियन करवाना जरूरी है साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों का फोटो और फार्म भी भरकर जमा करना था। यह सब हम लोगों ने किया जिससे जाबकार्ड ६९ लोगों को दो माह पहले दे दिये गये थे। जाब कार्ड मिलने पर फिर हम लोगों ने वाटर शेड का काम देख रहे समाज सेवा संस्थान के कार्यकर्ता से पूँछा कि अब हमें क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि अब तुम सभी लिखित प्रार्थना पत्र देकर काम माँगना होगा तुम आज ही अपना प्रार्थना पत्र लिखवा लो और प्रधानपति को दे आओ। क्योंकि प्रधान रामरती पाण्डेय पत्नी राम प्रसाद महाराजी म०प्र० में रहती हैं उनसे तो कोई मतलब रहता नहीं काम तो सारी पंचायत का प्रधानपति ही देखते हैं इसलिए उन्हीं को दे दो। सभी लोग अपना प्रार्थनापत्र लेकर प्रधानपति को दिए प्रधानपति ने पत्र को वापस कर दिया। वापस लौटने पर पुनः

प्रधान वापस जाब कार्डों में चढ़ा रहा फर्जी कार्य

जब राजसिंह से सुझाव लिया गया तो उन्होंने बताया कि अगर वापस कर दिए है तो तुम लोग मानिकपुर जाकर खण्ड विकास अधिकारी को दे दो। वहीं से ग्राम प्रधान के नाम इसी आवेदन को रजिस्टर्ड डाक से ग्राम-प्रधान को भी भेज देना। जानकी शरण, चुन्ने, राजेश आदि ने आकर ७ अक्टूबर ०६ को अपना प्रार्थना पत्र बी०डी०ओ० को दिया और इसी दिन ग्राम प्रधान को २२ रु० का डाक टिकट लगाकर रजिस्ट्री भी किया। डाकिया पत्र लेकर गाँव में प्रधानपति को दिया जिससे वह लेने से इन्कार कर दिया। डाकिया ने लेने से इन्कार लिखकर पत्र को जानकीशरण को वापस कर दिया। गाँव की ओर से प्रतिनिधि बनकर चुन्नेभइया ने अपने सभी पत्र लेकर स्वैच्छिक संगठनों को दिया तथा लखनऊ में जाकर उपवन द्वारा रोजगार गारण्टी पर आयोजित कार्यशाला में अपनी समस्या भी रखी जिसको यहाँ की समस्या ने इण्डियन सोशल फोरम में रखा था यह आयोजन दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में ९ नवम्बर से लेकर १८ नवम्बर तक आयोजित था जिसमें चुन्ने भइया को भी बुलाया गया था। सभी जगह दौड़ने के बाद प्रधानपति ने गाँव में चुन्ने भइया सहित १२ लोगों को एक हफ्ते का काम दिया था। सुबह ८ बजे से शाम ६.३० बजे तक सभी लोग हार्ड स्वायलिंग (पत्थर मिश्रित बजरी पुष्ट मिट्टी) की मिट्टी पर १२/१२/०७ को खन्ती खुदवाकर ग्राम सिवा बाद में ८० रु० प्रति खन्ती के हिसाब से मजदूरी देकर कार्य सम्पन्न करवा दिया। रोजगार गारण्टी कानून में साफ लिखा है कि मजदूर को मजदूरी ६० रु० से कम नहीं दी जायेगी। इसी के साथ हार्ड स्वैलिंग ऊँचाई और दूरी के अनुसार मजदूरी का रेट बढ़ाया भी जा सकता है। सड़क का कार्य समाप्त होने के दो-तीन दिन बाद प्रधान ने सम्पत पुत्र भोला कार्ड नं० ०१२ कमलतिया०३४ सुन्दर पत्नी चुनकदिया ००३ राजकुमार पुत्र बादे बगरहा ०३२ गोरे पत्र बादे ०३० राजा पुत्र चुनबाद ०१६ कृष्णा पुत्र फक्कड़ ००१ राकेश पुत्र रामदास ०१५ ददुवा पुत्र बादे ०३० बड्कू पुत्र बब्बू ०२३ ददुली ०३१ राजकुमार पुत्र बड़ा ०२१ कोदूराम पुत्र सुखोवा ०८८ श्यामलाल पुत्र कुमारे ०५९ रामप्रसाद पुत्र भुन्नू ०४९ सिल्ली पुत्र चिक्का आदि का जाब कार्ड प्रधानपति स्वयं घर-घर जाकर जमा कर लिया है। इन लोगों ने जब पूँछा कि प्रधानपति जी आप कार्ड किसलिए जमा करवा रहे हैं तो उसने कहा कि सचिव ने भूल से कुछ चढ़ाया नहीं था इसमें यही सुधार करवाना है। सुधार होने के बाद पुनः वापस कर दिये जायेंगे। अब लगभग एक माह होने जा रहे है प्रधान पति ने हमारे जॉबकार्ड वापस नहीं किए पता नहीं अब क्या चढ़ा कर करता है। हमें शंका है कि प्रधानपति रोजगार गारन्टी का काम चढ़ाकर फर्जी एम०बी० बनवाकर पैसा निकाल लिया होगा, गाँव वालों में इतना साहस नहीं है कि दबंग प्रधानपति से अपने जाबकार्ड माँग सकें या पूँछ सकें। माँगने पूँछने पर उसके गुन्डे इनको भी बद्दू यादव रामसूरत द्विवेदी, परसुराम (रंजन मिश्र बी०डी०सी० सदस्य) जैसे घर में घुसकर या रास्ते में आते जाते पकड़ कर मार-पीट कर सकते हैं। मारपीट के बाद मारकुण्डी का दरोगा इनके खिलाफ रिपोर्ट भी तो नहीं लिखता। अब तक सभी पिटे हुए व्यक्ति थाने के चक्कर लगा रहे हैं न रिपोर्ट लिखी गयी न कोई जाँच तफ्तीश ही हुई। इसलिए हमलोग बहुत डरते हैं उसके खिलाफ सीधे-सीधे कुछ करने से वह बहुत ही उच्छल व्यक्ति है कभी भी कुछ भी करवा कर हमें मरवा सकता है।

दैनिक जागरण

शनिवार 5 मई 2007 : ज्येष्ठ कृष्ण 3 विक्रम 2064

15 से आरंभ होगा सामाजिक अंकेक्षण

चित्रकूट ब्यूरो

- डीडीओ ने जारी किए निर्देश
- विशेष सहयोग को एबीएमएसएस नामित

रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत आगामी 15 मई से जिले में सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। यह निर्देश जिले के विकास विभाग की ओर से खण्ड विकास अधिकारियों समेत कर्मचारियों, प्रतिनिधियों को जारी किए जा रहे हैं। समूचे कार्यक्रम में अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान का विशेष सहयोग लिया जा रहा है।

यह निर्णय स्थानीय विकास भवन में डीडीओ जीपी सिंह, पीडी उग्रसेन पाण्डेय एवं अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के प्रतिनिधि विद्या सागर वाजपेयी, अर्चन, ज्योत्स्ना के साथ हुई लम्बी वार्ता के बाद लिया गया। प्रथम चरण में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य विकासखण्ड मानिकपुर की पांच ग्राम पंचायतों इटवां डुडैला, किहुनिया, अमचुर, नेरूआ, मनगवां एवं टिकरिया में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। संस्थान प्रवक्ता अर्चन ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण सार्थक ढंग से हो सके। इसके लिए कार्यकर्ताओं एवं अतिथि विशेषज्ञों के बीच सुनियोजित रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि संस्थान का 25 सदस्यीय दल विगत माह राजस्थान के उदयपुर जिले की 11 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सामाजिक अंकेक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाकर लौटा है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट समझ है।

संस्थान के निदेशक भागवत प्रसाद ने जिले के विकास विभाग की ऐसी पहल पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम की पारदर्शिता को साबित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। कानूनी प्रावधान के तहत छह माह में सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए। विडम्बना है कि देश में नियमानुसार सार्थक सामाजिक अंकेक्षण अभी तक राजस्थान के डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले में ही संभव हुए हैं। प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयास से हरदोई जिले में यह कार्य कराया गया है।

चित्रकूट जिले से इसकी विधिवत शुरूआत की पहल स्थानीय प्रशासन, जनसंगठनों को साथ लेकर होने जा रहा यह कार्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण साबित होगा, साथ ही रोजगार गारंटी के प्रति जनमानस एवं उत्तरदायी लोग सक्रिय तथा सजग होंगे।

//

नव भारत

ग्रामीणों ने खोला रोजगार गारंटी का चिट्ठा

जन सुनवाई के दौरान रोजगार गारंटी कानून की जानकारी देते अतिथि।

चित्रकूट, 19 जून. रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत में अपनी तरह का पहली बार सामाजिक अंकेक्षण / जनसुनवाई कार्यक्रम किया गया. मानिकपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत इटवां-डुडैला के लगभग 300 महिला -पुरुष श्रमिकों ने आकर रोजगार गारंटी का सच बताया. इस कार्यक्रम में पंजीकरण, जॉबकार्ड, अभिलेखों की उपलब्धता, मजदूरी का भुगतान, निगराही समिति की दशा, मेट के कर्तव्य, कार्यों के नियोजन आवंटन भारी अनियमितताएं उजागर हुई. एक ओर जहाँ फर्जी काम एवं भुगतान के मामले उजागर हुए वहीं कराये गये कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ.

उल्लेखनीय है कि सामाजिक अंकेक्षण का यह कार्यक्रम चिनगारी संगठन, ग्राम सभा इटवां पंचायत एवं अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान की पहल पर आयोजित किया गया. संस्थान की एक विशेष टीम पिछले एक माह से इटवां ग्राम पंचायत में रोजगार गारन्टी के कार्यों का सत्यापन कर रही थी. मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए उत्तरप्रदेश का जो सच उजागर हुआ है, उससे रोजगार गारंटी मे किये जा रहे खिलवाड़ का पता चल गया है. प्रदेश की विधानसभा सत्र में सवाल खड़ा करेंगे. उन्होंने दावा किया है किय एक माह के अन्दर किया है, कि एक माह के अन्दर चित्रकूट एवं बांदा जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में रोजगार गारन्टी के कार्यों को जांच की जायेगी.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के.के.राय ने जिम्मेदारों द्वारा रोजगार गारंटी कानून का सरेआम किये जा रहे उल्लंघन पर गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि इटवां पंचायत के तथ्यों को आधार बनाकर जनहित याचिकाएं दायर की जायेंगी. कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी जगन्नाथ सिंह ने अपने अनुभवों को सुनाते हुये कहा कि समस्या की जड़ आग्रम्पकड़ में आ जाये तो समाधान सम्भव हो जाता है.

समाजसेवी गोपाल भाई ने अपने उदबोधन में कहा कि रोजगार गारेण्टी कानून यहां के भुखमरीग्रस्त जरूरतमंद श्रमिकों का 100 दिन के काम की गारण्टी नहीं दिला पा रहा है, न ही स्थायी विकास के लिए कोई सुनियोजित कार्य होते दिखाई दे रहे हैं जल-प्रबंधन का कार्य इसकी प्राथमिकता में है लेकिन जिले के तालाब जल के तरस दिखाई दे रहे हैं पलायन का प्रतिशत नहीं घट पाया. भूख प्यास से आदमी और जानवर उसी तरह तड़पते दिखाई दे रहे हैं.

सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए संस्थान के निदेशक भागवत प्रसाद ने कहा कि रोजगार गारण्टी कानून में 'पारदर्शिता' का महत्वपूर्ण प्रावधान है. ग्राम इससे पूर्व सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन ने बताया कि इटवां ग्राम पंचायत में रोजगार गारण्टी कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है. एक साल बीतने के के बावजूद भी बी.डी.ओ. कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय तक में योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं है.

रोजगार गारंटी योजना का कच्चा चिट्ठा खोला

चित्रकूट। रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अपनी तरह का पहली बार सामाजिक अंकेक्षण/जनसुनवाई कार्यक्रम किया गया। रानीपुर भट्ट स्थित भारत जननी परिसर में हुए इस कार्यक्रम में मानिकपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत इंटवा-डुडैला के 300 ग्रामीणों ने रोजगार गारंटी का सच बताया। इस कार्यक्रम में पंजीकरण, जॉबकार्ड, अभिलेखों की उपलब्धता, मजदूरी का भुगतान, निगरानी समिति की दशा, मेट के कर्तव्य और कार्यों के नियोजन आवंटन में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इस पर इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता के.के.राय ने जहां इंटवा पंचायत के तथ्यों के आधार पर जनहित याचिका दायर करने की बात कही वहीं बांदा के विधायक विवेक सिंह ने एक माह के अन्दर चित्रकूट और बांदा में रोजगार गारंटी के तहत कराये गये कार्यों की जांच कराने का आश्वासन दिया।

यहां बता दें कि अखिल भारतीय समाज सेवी संस्थान के द्वारा पांच ग्राम पंचायतो में पिछले एक माह से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराया जा रहा है जिसके तहत गांवों में ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ किये जाने की बात उजागर हुई। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर और उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चला कि करोड़ों रुपए सरकारी धन ग्राम प्रधानों से लेकर अधिकारियों के द्वारा डकार लिए गए है। मंगलवार को इसी सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जन सुनवाई हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए विधायक विवेक सिंह ने कहा कि इंटवा ग्राम पंचायत के बारे में जो कुछ पता चला है। उससे रोजगार गारंटी योजना में किये जा रहे खिलवाड़ का पता चल गया है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान द्वारा पिछले एक माह से कराये जा रहे सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की यह रिपोर्ट भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि एक माह के अन्दर चित्रकूट और बांदा जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की जांच करायी जायेगी और इसके साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के.के.राय ने जिम्मेदारों द्वारा रोजगार गारंटी कानून का सरेआम किये जा रहे उल्लंघन पर गहरी चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि इंटवा पंचायत के तथ्यों को आधार बनाकर जनहित याचिकाएं दायर की जाएंगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चित्रकूट के पूर्व जिलाधिकारी जगन्नाथ सिंह ने अपने अनुभवों को सुनाते हुए कहा कि समस्या की जड़ अगर पकड़ में आ जाए तो समाधान सम्भव हो जाता है। सामाजिक अंकेक्षण की इस पहल के लिए उन्होंने संस्थान की पूरी टीम को बधाई दी। समाज सेवी गोपाल भाई ने अपने संबोधन में कहा कि रोजगार गारंटी कानून यहां के भुखमरीग्रस्त जरूरतमंद श्रमिकों का

100 दिन के काम की गारंटी नहीं दिला पा रहा है न ही स्थायी विकास के लिए कोई सुनियोजित कार्य होते दिखाई दे रहे है यह बड़ी चिंता का विषय है। ब्यूरो

संबोधन

कार्यक्रम को संबोधित करते बांदा विधायक वि... सिंह और उपस्थित लोग।

आज 2 जून 2007

सत्यापन से बौखलाए प्रधानपति ने ग्रामीणों को धमकाया

चित्रकूट 1 जून। जिले के विकास विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के लिये कराये जा रहे सत्यापन कार्य से बौखलाये इटवां-डुडैला पंचायत के प्रधानपति ने ग्रामीणों को डराना-धमकाना शुरु कर दिया हैं। इटवां गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी से गुहार लगाई हैं कि प्रधान उसके परिवार की जान लेने पर उतारु हैं उसकी रक्षा की जाये।

उल्लेखनीय है कि विकास विभाग द्वारा अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के सहयोग से मानिकपुर विकास खण्ड की पांच ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण विगत १५ मई से रोजगार गारंटी के कार्यो का सत्यापन कार्य किया जा रहा हैं। जिसमें एक सप्ताह से इटवां ग्राम पंचायत में सत्यापन का कार्य चल रहा हैं। जिससे पंचायत के प्रधानपति गया प्रसाद पाण्ड़ेय काफी बौखलाये हुये हैं। पिछले एक सप्ताह से इटवां ग्राम पंचायत में सत्यापन कार्य चल रहा हैं। इस पंचायत के प्रधानपति गया प्रसाद पाण्ड़ेय काफी बौखलाये हुये हैं। वहीं लगातार गरीब श्रमिको के रोजगार गारंटी की कारतूतों को न बताने की धमकी दे रहे हैं। सैकड़ो ग्रामीणो ने प्रधानपति गया प्रसाद के आक्रामक रवैये की शिकायत की हैं। इटवां गांव के गुलाब लोहार ने पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि प्रधानपति गया प्रसाद एवं उसके असलहाधारी गुण्डों ने उस पर लाठी-डंडा बरसाते हुये हिदायत दी है कि रोजगार गारंटी की कोई शिकायत अगर की तो गोलियों से भून डालेंगे। वहीं इसी गांव की मानिकपुर क्षेत्र पंचायत की सदस्य श्रीमती रज्जन मिश्रा ने भी पुलिस प्रशासन से अपने एवं परिवार के प्राणो की रक्षा की गुहार लगाई हैं। उन्होने अपने लिखित पत्र में कहा है कि प्रधानपति गया प्रसाद के इशारे पर उनके परिवारीजन तीरथ प्रसाद, विनय, बालकुमार, राजकुमार, लवकुश, सुनील पाण्ड़ेय आदि ने लाठी डंडो के सहित बीती २९ मई को जानलेवा हमला किया था। इसके पीछे एक मात्र कारण राजनीतिक दबाव है। गौरतलब है कि इन दोनों वारदातों की सूचना पीड़ितजनों द्वारा थाना-मारकुण्ड़ी को दी गई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई। उधर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के संयोजक अर्चन ने जानकारी दी कि इटवां एवं बांबिहा ग्राम पंचायतों के गरीब श्रमिक परिवारों में काफी दहशत फैली हुई हैं। लोगों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जिन्हें प्रधान एवं उनके शुभचिन्तक उन्हे जुबान न खोलने की धमकी दे रहे हैं।